"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2011—माघ 13, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2011/267.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के अधिसूचना संख्या 576/ई.एक्स.आई.टी./2011/एस.डी.आर., दिनांक 2 फरवरी, 2011 वि.स. निर्वाचन क्षेत्र 59-संजारी बालोद विधान सभा उप चुनाव-2011 के लिये मतानुमान के परिणाम पर रोक का राज्य के असाधारण राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी, 2011

अधिसूचना

संख्या 576/ई एक्स आई टी/2011/एस.डी.आर.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्द्वारा दिनांक 10-02-2011 को पूर्वाह्न 08.00 बजे से दिनांक 14-02-2011 को अपराह्न 05.00 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान किसी निर्गम मतानुमान का संचालन करना या इसका प्रचार करना जो कुछ भी हो, झारखण्ड में 57-खरसावाँ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 59-संजारी बालोद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 75-खाडिआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, मणिपुर में 18-कोन्थाऊजम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तथा मध्य प्रदेश में 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आयोग के दिनांक 12-01-2011 के प्रेस नोट द्वारा आख्यायित किसी निर्गम मतानुमान के परिणाम पर रोक लगा दी जाएगी.

यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी मत सर्वेक्षण या किसी अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित, निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित किए गए समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के लिए रोक लगा दी जाएगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd February, 2011

NOTIFICATION

No. 576/EXIT/2011/SDR.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 8 A.M. on 10-02-2011 and 5.30 p.m. on 14-02-2011 as the period during wich conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current bye-elections announced vide the Commission's Press Note dated 12-1-2011, from 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in Chhattisgarh, 75-Khadia Assembly Constituency in Gujarat, 18-Konthoujam Assembly Constituency in Manipur and 198-Kukshi (ST) & 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh, would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126 (1) (b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.